राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 751/2013/बाडमेर
अपील संख्या 752/2013/बाडमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, वृत–बाडमेर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वेस्टक्रेन्स
उत्तरलाई रोड, बाडमेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री के.एल.चन्चावत
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 31.03.2017

## निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 57 and 58/MV/ETLA/BMR/12-13 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–चतुर्थ, वृत– बाडमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान टैक्स आन इन्ट्री आफ मोटर व्हीकल इन टू लोकल एरिया, 1988 (जिसे आगे ''अधिनियम 1988'' कहा जायेगा) की धारा 3 व 6 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.09.2012 के द्वारा कर रू. 18,865/– व रू. 2,59,888/– , शास्ति रू.9,433/– व रू 1,29,941/– एवं ब्याज रू. 12,262/– व रू. 7,797/–आरोपित किया है, को अपास्त किया है।

दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने तथा विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जा रही हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट –प्रथम, बाडमेर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के बाडमेर में कार्यरत कुल 6 क्रेन के बारे में जांच की गई,जिनके रजिस्ट्रेशन नम्बर 1.आरजे 09ईए 112, 2.आरजे 09ईए 120, 3. आरजे 09ईए 214, 4. जीजे एचएच 685, 5. जीजे18 एच 7929 एवं 6. जीजे आईएलक्यू 3962 बताये गये। इनक्रेन से सम्बन्धित बिल की प्रतियॉ एवं मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करने पर प्रस्तुत किये गये। उक्तक्रेन में से सम्बन्धित जीजे18 एच 7929 पर इसलिए करारोपण किया गया क्योंकि अहमदाबाद से दिनांक 06.03.2007 को परिवहन विभाग

में पंजीकृत था एवं दिनांक 22.04.2009 को राजस्थान राज्य में प्रवेश किया गया परन्तु इस सन्देह से कि दिनांक 22.04.2009 से पूर्व लॉक बुक पेश नहीं की गई। इसके अतिरिक्त क्रेन संख्या जीजे आईएलक्यू 3962 पर करारोपण किया गया क्यों कि उक्त गुजरात राज्य में दिनांक 24.06.2011 को पंजीकृत है और दिनांक 22.05.2012 को राजस्थान राज्य में प्रवेश कराया है । उक्त प्रकार से आरोपित कर,शास्ति एवं ब्याज के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर, शास्ति एवं ब्याज को अपास्त कर अपीलें स्वीकार की हैं।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 22.04.2009 से पूर्व उक्त क्रेन का राजस्थान राज्य में प्रवेश हुआ है इसलिए कर आकर्षित होता है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त किया है। उनका कथन है कि जब कर देय था तो उसे जमा न कराने पर ब्याज स्वमेव आकर्षित है जिसको भी अविधिक रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। उनका कथन है अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अविधिक रूप से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त खरीद किये गये क्रेन्स की खरीद के संव्यवहारों को दर्शाया नहीं गया है और ना ही कर जमा कराया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक रूप से कर,ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई थी,जिनको अपास्त करना अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि क्रेन संख्या जीजे18 एच 7929 व क्रेन संख्या जीजे आईएलक्यू 3962, जिन पर प्रवेश कर अधिनियम 1988 के अन्तर्गत आरोपित किया गया है, वे दोनों क्रेन्स भारत के बाहर से आयातित होने से उस पर संविधान के अनुसार प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सकता है। उक्त कथन के समर्थन में उन्होंने अपीलीय स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उक्त सभी क्रेन्स के सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत दिनांक 26.7.2012 व 07.08.2012 को कर दिये गये थे। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रयुक्त दोनों क्रेन राज्य के बाहर 15 माह से अधिक समय तक मोटर अधिनियम, 1939/1988 (केन्द्रीय एक्ट) के तहत पंजीकृत रहने के पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवेश हुई थी, इसलिए वे अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के परन्तुक के अनुसार प्रवेश कर के दायित्व से मुक्त हैं। उन्होंने अपीलीय स्तर पर किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन के पश्चात

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है, जिनमें कोई अविधिकता नहीं है इसलिए उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार क्रेन संख्या जीजे18 एच 7929 व क्रेन संख्या जीजे आईएलक्यू 3962, जिन पर प्रवेश कर अधिनियम 1988 के अन्तर्गत आरोपित किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रयुक्त दोनों क्रेन राज्य के बाहर 15 माह से अधिक समय तक मोटर अधिनियम, 1939/1988 (केन्द्रीय एक्ट) के तहत पंजीकृत रहने के पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवेश हुई थी, क्या वे अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के परन्तुक के अनुसार प्रवेश कर के दायित्व से मुक्त हैं? इस सम्बन्ध में अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) का उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

"3(1)Provided that no tax shall be levied and collected in respect of a Motor Vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under Motor Vehicle Act 1939(Central Act 4 of 1939) for a period of fifteen months or more before the date on which it is liable to be registered in the State under the said Act."

अधिनियम1988 की धारा 3(1) के परन्तु के पठन से स्पष्ट है कि राजस्थान में प्रवेश होने से पूर्व वाहन यदि 15 माह से अधिक समय तक अन्य राज्य या राज्यों में पंजीकृत रह चुका हो तो राज्य में प्रवेश कर का दायित्व नहीं है।

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात पाया गया है कि उक्त उक्त दोनों क्रेन 15माह से अधिक समय तक अन्य राज्य में पंजीकृत रहने के पश्चात राजस्थान में प्रवेश होने से प्रवेश कर अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के परन्तुक के अनुसार प्रवेश कर देय नहीं है। उन्होंने इसी आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है,जिसमें कोई त्रुटि अथवा अविधिकता नजर नहीं आती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है, जिसके उपरान्त अन्य विवेचन किये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है इसलिए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2013 को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

( श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य